



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112024-258452
CG-DL-E-05112024-258452

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4434]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 5, 2024/कार्तिक 14, 1946

No. 4434]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 2024/KARTIKA 14, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2024

का.आ. 4815(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा घरेलू कपड़े धोने हेतु विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे कार्यों के जो इस अधिक्रमण से पहले किए गए हों अथवा किए जाने से छोड़ दिए गए हों, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** – (1) इस आदेश को घरेलू कपड़े धोने हेतु विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. **मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग** – तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम -I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश का कोई भी प्रावधान निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा:

बशर्ते इसके भी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम, तालिका के क्रमशः कॉलम (6) और (7) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में कुछ भी ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विनिर्माता या प्रमाणन के लिए ब्यूरो को आवेदन करने वाले विनिर्माता द्वारा इस आदेश के प्रभाव में आने की तारीख से पूर्व घरेलू रूप से विनिर्मित या आयातित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा और ऐसे विनिर्माता को इस शर्त के अध्यक्षीन 1 अक्टूबर, 2025 तक इस प्रकार के घोषित स्टॉक को बेचने या प्रदर्शित करने या बिक्री करने के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति होगी कि ऐसे विनिर्माता ने ब्यूरो को इस आशय की घोषणा की हो:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में कुछ भी 1 अप्रैल, 2026 तक घरेलू कपड़े धोने हेतु विद्युत उपकरणों के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से प्रति वर्ष दो सौ (200) की संख्या तक आयातित वस्तुओं या सामानों के लिए लागू नहीं होगा, इस शर्त के साथ कि ऐसे आयातित सामानों और वस्तुओं को वाणिज्यिक रूप से बेचा नहीं जाएगा और उन्हें स्क्रेप के रूप में निपटाया जाएगा, और विनिर्माता ऐसे आयातित माल या वस्तुओं का वर्षवार रिकॉर्ड रखेगा और यदि सरकारी प्राधिकारी ऐसा चाहें तो उसे प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई भी बात, इस आदेश के प्रारंभ होने से एक वर्ष की अवधि तक, 11 किलोग्राम से अधिक क्षमता वाले घरेलू कपड़े धोने हेतु विद्युत उपकरणों के मामले में ब्यूरो द्वारा प्रमाणित घरेलू कपड़े धोने हेतु विद्युत उपकरणों के विनिर्माता या विनिर्माता, जिन्होंने प्रमाणन के लिए ब्यूरो को आवेदन किया है, पर लागू नहीं होगी।

3. प्रमाणन एवं प्रवर्तन प्राधिकरण.- तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामानों के लिए ब्यूरो, प्रमाणन एवं प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी.- कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंड का भागी होगा।

तालिका

क्रम सं.	वस्तु तथा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्य रूप से कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर)	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	घरेलू कपड़े धोने हेतु विद्युत उपकरण	302 (भाग 2/खण्ड 7): 2010	सुरक्षा या घरेलू और इसी प्रकार के विद्युत उपकरण-विशेष आवश्यकताएं - घरेलू कपड़े धोने हेतु विद्युत उपकरण	01 अप्रैल, 2025	01 अक्टूबर, 2025	01 जुलाई, 2025

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/8/2022– एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 1st November, 2024

S.O. 4815(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Electrical appliance for domestic clothes washing (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Electrical appliances for domestic clothes washing (Quality Control) Order 2024.

(2) It shall come into force on the on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in Column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in Column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that the micro enterprises and small enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided also that nothing in this Order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of commencement of this Order by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification and such manufacturer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock up to the 1st October, 2025 subject to the condition that such manufacturer shall made a declaration to this effect to the Bureau:

Provided also that nothing in this order shall apply for two hundred (200) numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of Electric appliances for domestic clothes washing per year up to the 1st April, 2026 and such imported goods and articles shall not be sold commercially and can be disposed of as a scrap with the condition that the Original Equipment Manufacturers shall maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish the same, if so desired by Government authorities.

Provided also that nothing in this order shall apply for a period of one year from the commencement of this Order to Electric appliances for domestic clothes washing with capacity greater than 11 kg to the manufacturer certified by the Bureau or the manufacturer of Electric appliances for domestic clothes washing who has applied to the Bureau for certification.

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for contravention.- Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

S.No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in General (other than Micro and Small Enterprises)	Date of Implementation for Micro Enterprises	Date of Implementation for Small Enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Electrical Appliances for domestic clothes washing	302 (Part 2/Sec 7): 2010	Safety or household and similar electrical appliances-particular requirements – domestic electric clothes washing machines	1 st April, 2025	1 st October, 2025	1 st July, 2025

Note:- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/8/2022-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.